>

Title : The Minister of State in the Ministry of Rural Development laid a statement regarding revision of MGNREGA wage rates for the period 2014-15.

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा मजदूरी दरों को कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईएएल) से जोड़ते हुए इन्हें संशोधित करने की अधिसूचना 14.01.2011 को जारी कर दी थी। मार्च, 2011 में अंतरमंत्रालयी परामर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया था कि सीपीआईएल के हिसाब से मनरेगा मजदूरी दरों में संशोधन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। तत्पश्चात् जुलाई, 2011 में यह निर्णय लिया गया कि यह संशोधन प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।

01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए सीपीआईएएल के हिसाब से मनरेगा मजदूरी दरों को संशोधित करने अधिसूचना जारी कर दी गई है।

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)